देश में शीतागार

@@2400. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को शीतागारों की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) शीतागारों की राज्यवार संख्या और कुल क्षमता कितनी-कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल : (क) सरकार को किसानों को शीतागारों की सुविधा उपलब्ध न होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार शीतागारों के निर्माण का कार्य नहीं करती है । शीतागारों की स्थापना अधिकतर निजी क्षेत्र में की जाती है जो कि देश में शीतभण्डारण क्षमता का लगभग 86 प्रतिशत बैठता है । भण्डारण योग्य फालतू उपज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार शीत भण्डारों की स्थापना सहकारी समितियों सहित विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा की जाती है ।

(ग) शीतागारों की संख्या तथा उनकी भण्डारण क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

31-12-91 की स्थिति के अनुसार भण्डारण क्षमता सहित शीतागारों का राज्यवार विवरण

(क) शीत भण्डारण आदेश 1980 के अंतर्गत

(मीटर टन में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	शीतगारों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	70	32887
2.	असम	3	1703
3.	बिहार	208	435134
4.	गुजरात	142	199219
5.	गोवा	28	2041
6.	हिमाचल प्रदेश	14	647
7.	जम्मू व काश्मीर	12	17316
8.	केरल	112	12641
9.	कर्नाटक	79	19100
10.	महाराष्ट्र	238	126527

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1642, 24 जुलाई, '92 से स्थानांतरित ।

1	2	3	4
11.	मध्य प्रदेश	116	222599
12.	नागालैंड	1	1149
13.	उड़ीसा	47	83681
14.	राजस्थान	48	59102
15.	तमिलनाड्	84	18625
16.	त्रिपुरा	3	4278
17.	अण्डमान व निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)	2	203
18.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	12	18387
19.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	94	114025
20.	लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	1	36
21.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	5	201
	(क) का कुल :	1324	1378501

(ख) राज्यों द्वारा बनाये गए अपने अधिनियमों/आदेशों के तहत (31-12-90 की स्थिति के अनुसार)

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	906	3554310
23.	पंजाब	309	572821
24.	पश्चिम बंगाल	283	2089287
25.	हरियाणा	148	192680
	(ख) का कुल :	1646	6409098
	(क) व (ख) का कुल :	2970	7787599

*उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा जो अपने निजी अधिनियमों/आदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं, के संबंध में केवल 31.12.90 तक की सूचना उपलब्ध है।